

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री दलीप सिंह कुँवर को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर रहर्ष नियुक्त करते हैं।

2- यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री दलीप सिंह कुँवर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3- यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के प्रस्तर-12 के अनुरूप श्री दलीप सिंह कुँवर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगी।

4- राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव

संख्या-457 /xxxi(15)G/25-02(रा०सू०आ०)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, विधान सभा, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. श्री दलीप सिंह कुँवर, पता-1468, इंदिरानगर कॉलोनी (सी०बी०आई० ऑफिस के पीछे), सीमाद्वार, देहरादून, उत्तराखण्ड।
12. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
13. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. गार्ड फाईल।


(विनोद कुमार सुमन)
सचिव